| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इमिरियल्स जज |
|---|---|
| | 3/अपील/2019 रामगोपाल V/s सरपंच डाबेटा |
| 13/5/24 | पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 1-7-24 को पेश हो। |
| 1/7/24 | पत्रावली पेश। रेस्पो० की ओर से फर्द दस्तावेजात पेश किये, जो शा० मिसल किये गये। वकील पक्षकारान उप० हुये। बहस अंतिम सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 15/07/2024 को पेश हो। |
| 15/7/24 | पत्रावली पेश वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा उक्त अपील ग्राम पंचायत डाबेटा द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 612 दिनांक 05.09.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि स्व0 प्रभूलाल आ0 भूरा जाति सेन की मृत्यु पश्चात बिना जॉच के खोले गए नामान्तकरण को निरस्त किया जावे। प्रभूलाल का नामान्तकरण सन्तरा द्वारा निष्पादित गोदनामे के आधार पर किया गया है। हम सन्तरा को मृतक प्रभूलाल की पत्नी नहीं मानते हैं। वकील रेस्पोडेन्ट ने खण्डन कर कथन किया कि सन्तरा प्रभूलाल की दूसरी पत्नी है। उसके द्वारा जो गोदनामा लिखा गया है उसी के आधार पर नामान्तकरण दर्ज हुआ, जो सही है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।<br>अपीलान्ट द्वारा पत्रावली में पेश मतदाता सूची में बच्चीबाई उर्फ नेतन प्रभूलाल की पत्नी अंकित है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्रों में सन्तरा को प्रभूलाल की पत्नी बताया गया है। हमारे अनुसार |

| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

प्रथमतः सन्तरा द्वारा निष्पादित गोदनामा प्रभूलाल की सम्पत्ति के लिए मान्य तभी होगा। जब ये बिन्दु तय किया जावे कि सन्तरा प्रभूलाल की पत्नी थी या नहीं जो कि सक्षम न्यायालय द्वारा तय किया जाना है

उपरोक्त विवेचन से हम यह उचित समझते हैं कि प्रभूलाल की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मृतक प्रभूलाल की विधिक पत्नी की जॉच कर नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है। अतः न्यायालय नामान्तकरण संख्या 612 दिनांक 05.09.2018 ग्राम पंचायत डाबेटा को निरस्त करना उचित समझता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तकरण संख्या 612 दिनांक 05.09.2018 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत डाबेटा निरस्त किया जाता है व आदेश दिए जाते है कि मृतक प्रभूलाल की विधिक पत्नी की जॉच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार, दबलाना को पत्र जारी किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली